



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खंड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

1495
3/10/97

सं० 408]
No. 408]

नई दिल्ली, मंगलवार, जुलाई 22, 1997/आषाढ़ 31, 1919
NEW DELHI, TUESDAY, JULY 22, 1997/ASADHA 31, 1919

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 जुलाई, 1997

का. आ. 509(अ).—केन्द्रीय सरकार, प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) अधिनियम, 1990 (1990 का 25) की धारा 1 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 15 सितम्बर, 1997 को उस तारीख के रूप में नियत करती है, जिसको उक्त अधिनियम प्रवृत्त होगा।

[फा. सं. 15/1/91-पी.बी.सी., खंड 6]

के. एस. सार्मा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd July, 1997

S.O. 509(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 1 of the Prasar Bharati (Broadcasting Corporation of India) Act, 1990 (25 of 1990), the Central Government hereby appoints the 15th day of September, 1997, as the date on which the said Act shall come into force.

[F. No. 15/1/91-PBC Vol. VI]

K. S. SARMA, Jt. Secy.

